

कार्यालय- कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

(जी.एस.टी. अनुभाग)


लखनऊ: दिनांक: 04 जून, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, कमिश्नर, अधिसूचना संख्या- जी.एस.टी./2020-21/फाईल सं0-509/57/वाणिज्य कर दिनांक 24 नवम्बर, 2020, में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के दूसरे परंतुक में "अप्रैल 2021" शब्दों और अंकों के बाद "और मई 2021" शब्दों और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

आज्ञा से,

 4/6/2021

(मिनिस्ती एस.)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

नोट: मूल अधिसूचना अधिसूचना संख्या- जी.एस.टी./2020-21/फाईल सं0-509/57/वाणिज्य कर दिनांक 24 नवम्बर, 2020 द्वारा जारी की गयी थी और अधिसूचना संख्या- जी.एस.टी./2020-21/फाईल सं0-509/62/ वाणिज्य कर दिनांक 12 मई, 2021 द्वारा अंतिम संशोधित की गयी।